प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्यप्रदेश

दाण्डिक अपील संख्या 1405 वर्ष 1996

पूरन, पिता मेहतारू,

उम्र लगभग 35 वर्ष,

कृषक एवं मजदूर, निवासी ग्राम: भखारा

थाना: कुरुद, तहसील: धमतरी,

जिला: रायपुर (म.प्र.) (वर्तमान में धमतरी जेल में)

.... अपीलार्थी

– बनाम –

मध्य प्रदेश राज्य

.... उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत

<u>उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़</u>

<u>दाण्डिक अपील संख्या 1405 वर्ष 1996</u>

पूरन, पिता मेहतारू,

उम्र लगभग 35 वर्ष,

कृषक एवं मजदूर, निवासी ग्राम: भखारा,

थाना: कुरुद, तहसील: धमतरी,

जिला: रायपुर (म.प्र.) (वर्तमान छ.ग.)

बनाम —

मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

द्वारा: थाना प्रभारी

पुलिस स्टेशन: कुरुद, तहसील: धमतरी,

जिला: रायपुर (म.प्र.) (वर्तमान छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विचार हेतु आदेश</u>

सही

न्यायमूर्ति

26-06-2004

<u>माननीय मुख्य न्यायाधिपति</u>

सही

मुख्य न्यायाधिपति

<u>8 जुलाई 2004 को आदेश हेतु नियत</u>

सही

श्री एल.सी. भादू

न्यायमूर्ति

<u>न्यायाधिपति</u>

<u>उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़</u>

<u>दाण्डिक अपील संख्या 1405 वर्ष 1996</u>

पूरन, पिता मेहतारू,
उम्र लगभग 35 वर्ष,
कृषक एवं मजदूर, निवासी ग्राम: भखारा,
थाना: कुरुद, तहसील: धमतरी,
जिला: रायपुर (म.प्र.) (वर्तमान छ.ग.)

बनाम –

मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)
द्वारा: थाना प्रभारी
पुलिस स्टेशन: कुरुद, तहसील: धमतरी,
जिला: रायपुर (म.प्र.) (वर्तमान छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:
श्रीमती सविता तिवारी, अधिवक्ता: अपीलकर्ता के लिए
श्री आशीष शुक्ला, सरकारी अधिवक्ता: राज्य/ उत्तरवादी के लिए

<u>खंडपीठ –</u>

माननीय श्री ए.एस.वी. मूर्ति, मुख्य न्यायाधिपति

और माननीय श्री एल.सी. भादू, न्यायमूर्ति

<u>निर्णय</u>

(निर्णय दिनांक– 8 जुलाई 2004)

<u>न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति एल.सी. भादू द्वारा दिया गया –</u>

1) अभियुक्त/अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत, अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 160/1994 में पारित निर्णय दिनांक 16 अगस्त 1996 के निर्णय जिसके तहत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को उसकी पत्नी राधिका बाई की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 1000 रुपए के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का दण्डादेश दिया था, उस आदेश के खिलाफ यह अपील प्रस्तुत की है।

2) संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि 1 और 2 फरवरी 1994 की मध्य रात्रि में लगभग 11.30 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी अपने पिता मेहतारू और रामा नाई के साथ अभियुक्त/अपीलार्थी कुमार के घर गया था । और उसका दरवाजा खटखटाया जब उसका साला कुमार घर से बाहर आया तो अभियुक्त/अपीलार्थी पूरन ने उसे बताया कि उसकी पत्नी राधिका बाई (मृतिका) का एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था एवं उसने मृतिका उस व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा लेकिन वह व्यक्ति उसके घर से भाग गया, इस पर उसने कुदाल का एक लकड़ी का हैंडल उठाया और उस लकड़ी के हैंडल से राधिका बाई के सिर पर 5 से 6 बार हमला किया। यह जानकारी मिलने पर कुमार, अपीलार्थी, के पिता मेहतारू और रामा नाई के साथ भखारा पुलिस के पास गया और प्रदर्श पी–1 की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर आकर राधिका बाई को इलाज के लिए धमतरी भेजा जहां डॉ ओ एस बाजपेयी ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्र.पी–14 का नोट लिखकर उसे आगे के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में ही राधिका बाई ने गम्भीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इसकी सूचना पुलिस थाना धमतरी को दी गई। पुलिस ने मर्ग सूचना प्र.पी–11 दर्ज कर थाना धमतरी से संबंधित थाना कुरूद को सूचना दी। जहां प्र.पी–11 के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर राधिका बाई के शव का पंचनामा प्र.पी–9 को तैयार किया। डॉ रमेश कुमार त्रिपाठी ने राधिका बाई के शव का शव परीक्षण किया और रिपोर्ट प्र.पी–10 तैयार किया। जांच अधिकारी ने आरोपी का शर्ट बरामद कर बरामगी पत्र प्र.पी–2 तैयार किया एवं प्र.पी–3 के तहत उन्होंने आरोपी के घर से मृतका राधिका बाई की साड़ी अपने कब्जे में ली। विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी के साथ–साथ सादी मिट्टी भी अपने कब्जे में लेते हुए प्र.पी–4 तैयार किया। उन्होंने प्र.पी–5 के तहत एक लुंगी एक फटी हुई शर्ट मृतका की एक पेटी कोट और एक ब्लाउज भी अपने कब्जे में लिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्र.पी –6 के तहत आरोपी के घर से अपराध का हथियार यानी कुदाल का लकड़ी का हैंडल भी अपने कब्जे में लिया। जप्ति सामग्री को जांच हेतु फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया तथा वहाँ से खून से सनी चीजों को सीरोलॉजिस्ट को जांच के लिए भेजा गया और जांच के बाद उन्होंने रिपोर्ट प्र.प–19 और प्र.पी–21 भेजी। पटवारी ने नजरी नक्शा प्र.पी –15 तैयार किया और जांच अधिकारी ने नजरी नक्शा प्र.पी –16 तैयार किया।

3) जांच पूरी होने के बाद आरोपी/अपीलकर्ता के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश रायपुर को सौंप दिया जहां से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी ने स्थानांतरण पर मामले को प्राप्त किया।

4) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोप पर दलीलें सुनने के बाद यह पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी/अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध कारित करने का मामला कायम होता है। इसलिए उन्होंने आरोप तैयार कर आरोपी को उसे पढ़कर सुनाया और समझाया जिसे आरोपी के द्वारा अस्वीकार किया गया और सुनवाई के लिए मांग की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5) अभियोजन पक्ष ने आरोपी/अपीलार्थी के विरूद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए 12 गवाहों का परीक्षण किया तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य गलत हैं या कहा कि उसे जानकारी नहीं है। हालांकि अंत में उसने कहा कि उस घटना दिनांक रात को करीब 9.30 बजे खाना खाने के बाद वह आसपास के क्षेत्र में वीडियो देखने चला गया जब वीडियो देखने के बाद रात 10 से 11 बजे के बीच वह अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि बउवा नामक व्यक्ति उसके घर से निकलकर भागने लगा उसने बउवा का पीछा किया लेकिन बउवा ने चाकू निकाल लिया और धमकी देते हुए भाग गया। वह अपने घर के अन्दर गया और माचिस जलाकर देखा कि उसकी पत्नी घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी है उसके सिर से खून बह रहा है तब उसने अपने बेटे कुलदीप को जगाया और उससे पूछताछ की। कुलदीप ने बताया कि बउवा उनके घर आया उसकी मां के साथ बलात्कार किया और मारपीट की। आरोपी ने आगे बताया कि उसने देखा कि राधिका बाई का शव नग्न अवस्था में पड़ा था। इस पर उसने अपने पिता को सूचित किया। आरोपी/अपीलकर्ता ने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में अपने पिता की भी गवाही ली।

6) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक और विद्वान वकील की बहस सुनने के बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर विश्वास किया तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता को उपरोक्त तरीके से दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

7) हमने अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सविता तिवारी और राज्य/उत्तरवादी की ओर से सरकारी अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला को सुना है।

8) जहां तक राधिका बाई की मृत्यु की प्रकृति के मानव हत्या से संबंधित होने का प्रश्न है इस पर अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षी क्रमांक– 5 डॉ. रमेश कुमार त्रिपाठी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने राधिका बाई के शव का पोस्टमार्टम किया था तथा तीन चोटें देखी थीं। सिर के सामने वाले भाग में मस्तिष्क तक गहरा एक घाव था तथा दाहिनी ओर सहायक अस्थि पर कई फ्रैक्चर थे तथा बायीं पार्श्विका अस्थि में फ्रैक्चर था झिल्ली अवरुद्ध थी मस्तिष्क अवरुद्ध था तथा गला और श्वास नली भी अवरुद्ध थी। राधिका बाई की मृत्यु का कारण रक्तस्राव और सदमा था। डॉक्टर की रिपोर्ट प्र.पी–10 है। अतः डॉक्टर के उपरोक्त साक्ष्य से यह साबित होता है कि राधिका बाई की मृत्यु की प्रकृति मानव हत्या थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9) जब राधिका बाई की हत्या में आरोपी/अपीलकर्ता की संलिप्तता के सवाल पर आते हैं तो इस मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है क्योंकि आरोपी का बेटा अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 कुलदीप जो मृतका के साथ ही सो रहा था उसने घटना देखी थी लेकिन वह गवाह पक्ष विरोधी हो गया और उसने कहा कि आरोपी/अपीलकर्ता ने अपनी मां पर हमला नहीं किया था बल्कि बउवा नामक एक व्यक्ति ने अपनी मां पर डंडे से हमला किया था। इसलिए पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका हुआ है।

10) परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त/अपीलकर्ता दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को नेसार अहमद बनाम बिहार राज्य [एआईआर 2001 सुप्रीम कोर्ट 2416] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थापित सिद्धांतों के अनुसार अपराध को साबित करना होगा जो कि यह है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जा सकता है वे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद साक्ष्य द्वारा स्थापित की गई हैं। और सभी परिस्थितियां एक साथ मिलकर न केवल निश्चायक प्रकृति के हो बल्कि वे श्रृंखला को इस तरह से पूर्ण करते हो कि वे स्पष्ट रूप से

अभियुक्त द्वारा अपराध करने की ओर संकेत करते हो और ऐसी कोई व्याख्या संभव नहीं हो जो अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के साथ संगत न हो।

11) विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों पर आधारित है:

क) यह कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या के संबंध में अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति दी है,

ख) यह कि अभियुक्त और मृतक के खून से सने कपड़े बी रक्त समूह के मानव रक्त से सने पाए गए थे,

ग) यह कि अपराध का हथियार अर्थात कुदाल का लकड़ी का हैंडल अभियुक्त के घर से बरामद किया गया था और

घ) यह कि यह हत्या एक गृह हत्या है और वह भी रात के समय में जहां घर मे केवल आरोपी और मृतक ही रह रहे थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अब हम अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य की जांच करेंगे तथा यह देखेंगे कि क्या अभियोजन पक्ष उपर्युक्त सिद्धांत के अनुरूप अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध को साबित करने में सक्षम होता है।

12) जहां तक न्यायिकेतर संस्वीकृति का प्रश्न है कुमार जिसने पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी उसने प्राथमिकी में उल्लेख किया था कि अभियुक्त ने उसके समक्ष स्वीकारोक्ति की है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। कुमार से अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 के रूप में पूछताछ की है। इस पर गवाह ने अपने कथन का प्रतिरोध किया है। उसने कहीं भी यह नहीं कहा है कि अभियुक्त ने उसके समक्ष अतिरिक्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति की है। इसके विपरीत उसने धारा 313 द. प्र. स. के तहत अपने बयान में अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए बचाव का समर्थन किया है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसे बताया कि एक व्यक्ति उसके घर से निकला और भाग गया जब उसने माचिस जलाने के बाद अपनी पत्नी को देखा तो वह खून से लथपथ पड़ी थी। इसी प्रकार अभियुक्त के पिता को अभियोजन पक्ष ने पेश नहीं किया है जिनके समक्ष अभियुक्त ने अतिरिक्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति की बात कही है, लेकिन अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उन्हें बचाव साक्षी क्रमांक–1

के रूप में पेश किया है। उसने यह नहीं कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसके समक्ष कोई अतिरिक्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति की है। इसके विपरीत उन्होंने अपीलकर्ता के मामले का भी समर्थन किया है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उन्हें बताया था कि जब वह वीडियो देखने के बाद अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बउवा उनके घर से निकल रहा था और फिर भाग गया।

13) अब अभियोजन साक्षी क्रमांक–11 रामा के साक्ष्य पर आते हैं, जिसके सामने अतिरिक्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति हुई है, लेकिन उसने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। उसने कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता के पिता मेहतारू (बचाव साक्षी क्रमांक–1) उसके पास आए और बताया कि अभियुक्त/अपीलकर्ता (उसके बेटे) ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। उसने कहीं भी यह नहीं कहा है कि अभियुक्त ने खुद उसके सामने अतिरिक्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति की है। इसलिए, उसका यह साक्ष्य कि अभियुक्त के पिता ने उसे बताया कि उसके बेटे ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है, अतिरिक्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि रामा(अभियोजन साक्षी क्रमांक–11) के सामने अतिरिक्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति सही नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14) अब, इस प्रश्न पर आते हैं कि अभियुक्त और मृतक के कपड़ों पर बी रक्त समूह का मानव रक्त पाया गया था, इसलिए, यह परिस्थिति अभियुक्त को उसकी पत्नी की हत्या से जोड़ती है, पहली बात तो यह कि अगर हम सीरोलॉजिस्ट (प्र.पी–21) की रिपोर्ट देखें, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बी के रूप में चिह्नित वस्तु –30(लुंगी) , सी के रूप में चिह्नित वस्तु –31 (शर्ट) , एच–1 के रूप में चिह्नित वस्तु –36 (साड़ी) और एच–2 के रूप में चिह्नित वस्तु –37 (ब्लाउज) समूह– बी के रक्त से सने हुए थे। सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट से पता चलता है कि डी के रूप में चिह्नित शर्ट (आर्टिकल–32) जो अभियुक्त के शरीर से बरामद की गई थी, पर रक्त विघटित हो गया था और इसलिए उसकी उत्पत्ति निर्धारित नहीं की जा सकी। चूंकि, अभियुक्त की शर्ट पर पाया गया रक्त का समूह, जिसे प्र.पी–2 के तहत बरामद किया गया था, निर्धारित नहीं किया जा सका है इसलिए इस परिस्थिति पर अभियुक्त को उसकी पत्नी की हत्या के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। जहाँ तक की लुंगी, साड़ी और ब्लाउज जैसे अन्य सामान का सवाल है, उन्हें जप्ती पत्रक प्र.पी–3 और प्र.पी–5 के तहत जप्त गया था और इस किया पत्रक के गवाह हेमनारायण साहू, नागेश्वर और कुमार हैं। अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 कुमार ने कहा है कि प्र.पी–3 के तहत मृतक की साड़ी को कब्जे में लिया गया था। अभियोजन साक्षी क्रमांक–8 नागेश्वर ने भी यह

कहा है कि साड़ी, ब्लाउज, लुंगी और टी–शर्ट को प्र.पी–3 और प्र.पी–5 के तहत कब्जे में लिया गया था। अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 हेमनारायण के बयान भी इसी प्रकार हैं। चूंकि ये कपड़े आरोपी से बरामद नहीं हुए थे और घटनास्थल से बरामद हुए थे, इसलिए इस परिस्थिति के आधार पर आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या से नहीं जोड़ा जा सकता है। अन्यथा, अगर हम इस परिस्थिति को लें, कि इन कपड़ों पर ग्रुप–बी का मानव रक्त पाया गया था, तो केवल इस परिस्थिति के आधार पर, आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नामदेव दौलता धायगुडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [एआईआर 1977 सर्वोच्च न्यायालय 381] के मामले में यह कहा है कि:

"आरोपी के पास से मानव रक्त से सने कपड़े बरामद होने को आरोपी को दोषी साबित करने वाला निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। यह केवल एक ऐसा साक्ष्य है जो आरोपी के अपराध के बारे में अन्य साक्ष्यों का समर्थन कर सकता है।"

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यही सिध्दांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष दीक्षित एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य [2001 (सीआरआई) 235] के मामले में भी लागू किया था। इस मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि:

"आरोपी की मोटरसाइकिल पर पाया गया खून का धब्बा मृतक के रक्त समूह से मेल खाता है – उक्त परिस्थिति मृतक की हत्या में आरोपी की संलिप्तता की ओर संकेत करने के लिए पर्याप्त निर्णायक नहीं है।"

इसलिए, प्रथम दृष्टया से, ये कपड़े अभियुक्त से बरामद नहीं किए गए थे और दूसरा तत्थ यह कि यह अभिलेख पर नहीं आया है कि मृतक या अभियुक्त का रक्त समूह क्या था और यह भी अभिलेख पर नहीं आया है कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के शरीर पर कुछ चोटें पाई गई थीं, जो इस तथ्य का संकेत देती हैं कि चोटों के कारण कपड़े उसके खून से सने हुए थे।

15) इसलिए, इस परिस्थिति के आधार पर हमारा मानना यह है कि, अभियुक्त को अपनी पत्नी की हत्या से जोड़ा नहीं जा सकता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, यदि यह साबित हो जाता है कि बरामद वस्तु अभियुक्त के खून से सनी हुई थी, तबभी, केवल उस परिस्थिति के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह एक परिस्थिति और सबूत का हिस्सा हो सकता है, जो अन्य सबूतों या परिस्थितिजन्य सबूतों का समर्थन कर सकता है, लेकिन इस मामले में, आरोपी के खिलाफ कोई अन्य

परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है जो उसकी पत्नी की हत्या में उसकी संलिप्तता का संकेत देते हो। इसलिए, यह परिस्थिति भी अभियोजन पक्ष के लिए कोई मददगार नहीं है।

16) जहां तक इस परिस्थिति का सवाल है कि अभियुक्त के घर से प्र.पी–6 के तहत लकड़ी का डंडा बरामद किया गया था, तो इस तरह के लकड़ी के हैंडल हर घर में पाए जाते हैं और इस वस्तु पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि अभियुक्त ने इस वस्तु का इस्तेमाल अपराध के हथियार के तौर पर किया था। इसलिए, इस परिस्थिति के जरिए भी अभियोजन पक्ष अभियुक्त को उसकी पत्नी की हत्या से नहीं जोड़ पाया है।

17) जहां तक इस बात का सवाल है कि यह गृह हत्या थी और वह भी रात में, जहां केवल आरोपी और मृतका ही रह रहे थे, यह सही है कि राधिका बाई पर उसके ही घर में रात करीब 10 बजे हमला हुआ था, लेकिन आरोपी ने सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत अपने बयान में स्पष्ट किया है कि रात करीब 9 से 9.30 बजे खाना खाने के बाद वह वीडियो देखने के लिए आस–पास में चला गया और जब रात 10 से 11 बजे के बीच वह वीडियो देखने के बाद अपने घर वापस लौटा, जब वह अपने घर में प्रवेश कर रहा था, तो उसने देखा कि बउवा नामक एक व्यक्ति उसके घर से निकल रहा है, उसने बउवा का पीछा किया, लेकिन बउवा भाग गया और इसलिए, वह अपने घर में गया और माचिस जलाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी और उसके सिर की चोटों से खून बह रहा था। यही बात उसके बेटे कुलदीप (अभियोजन साक्षी क्रमांक–6) ने भी कही है। यहां तक कि आरोपी के पिता (बचाव साक्षी क्रमांक–1) ने भी यही कहा है। आरोपी ने उन्हें बताया कि बउवा उनकी अनुपस्थिति में उनके घर आया था। इसलिए, उपरोक्त बातो को मद्देनजर रखते हुए, हमारा मत यह है कि भले ही मृतक पर रात 10 या 10.30 बजे हमला किया गया था, लेकिन आरोपी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य परिस्थिति स्थापित नहीं की गई है जो आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या करने में शामिल होने का संकेत देती हो। इसलिए, केवल इस परिस्थिति के आधार पर भी आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या से नहीं जोड़ा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18) चूंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक बहुत ही कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, तथा कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पुष्ट, सुसंगत हैं और परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी करती हो तो ही यह अंकित करती है कि आरोपी ही अपराध के लिए जिम्मेदार है और किसी और द्वारा अपराध किए जाने का कोई संदेह भी नहीं है, तभी आरोपी को दोषी

ठहराया जा सकता है। लेकिन अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण के अनुसार आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने में विफल रहा है।

19) इसलिए, उपरोक्त के अनुसार , हम इस राय पर हैं कि ऊपर बताए गए कारणों से दोषसिद्धि और सजा के फैसले को यथावत नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि आरोपी/अपीलकर्ता को उसकी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराने वाला विचारण न्यायालय का निष्कर्ष कानूनी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। इसलिए, निष्कर्ष को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

20) परिणामस्वरूप, अभियुक्त/अपीलकर्ता की अपील सफल होती है और उसे स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त/अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दी गई सजा और दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप से मुक्त किया जाता है। यदि अभियुक्त/अपीलकर्ता की किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही
मुख्य न्यायाधिपति

सही
एल.सी. भादू न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

<u>Translated by — Vidhi Mehta</u>